स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./10

दिनांक : 10/03/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.03.2022 को दोपहर 1.30 बजे शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित हुई।

बैठक में परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. परिषद द्वारा अधिकारियों की सुविधा हेतु विधि सेवा की स्मारिका (निर्देशिका) तैयार कराने का निर्णय लिया गया। उक्त स्मारिका आगामी 4 माह में तैयार की जाकर, प्रकाशित करायी जावेगी।
2. राजस्थान विधि सेवा परिषद् की वेबसाईट **rajvidhiseva.com** के नवीनीकरण के प्रस्ताव को पारित किया गया एवं वेबसाईट के तीन वर्ष के नवीनीकरण हेतु – राशि रूपये 16,403/– स्वीकृत की गयी।
3. विधि सेवा के अधिकारियों के परिचय पत्र, विधि विभाग से शीघ्र बनवाने अथवा पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप परिषद के स्तर से बनवाने हेतु, विधि विभाग को ज्ञापन दिया जावे।
4. परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दिये जाने के संबंध में न्यायालय में दायर वाद पर चर्चा की गई। उक्त वाद में पैरवी प्रभावी ढ़ंग से करवायी जावे एवं वाद खर्चा परिषद द्वारा वहन किया जावे।
5. परिषद के विरूद्व मामला न्यायालय में ले जाने से पूर्व, निर्वाचन अधिकारी को विधिक नोटिस दिये बगैर ही अध्यक्ष पद की लालसा एवं महत्वाकांक्षा हेतु दायर उक्त वाद से परिषद के कोष एवं उसकी गरिमा को ठेस पहुँची है, उक्त कार्य निंदनीय है।
6. परिषद की कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव पद पर पदस्थापित रहते हुए, श्री सोमदत्त खण्ड़पा द्वारा उक्त पद से पदत्याग किये बिना ही, अध्यक्ष के विरूद्व चुनाव लड़ने हेतु पर्चा भरना, कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से कदाचार मानते हुए, इसकी निन्दा की गयी।
7. श्री खाण्ड़पा द्वारा विधि सेवा के तथाकथित अन्य संघ हेतु, परिषद के सदस्यों को जोड़ने बाबत् अपील की जा रही है। उक्त संबंध में श्री खाण्ड़पा को परिषद् से निलंबित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिसके संबंध में कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री खाण्ड़पा का वर्तमान में परिषद का सदस्य न होने के कारण, उनका निलंबन अप्रासंगिक है।

8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों की गणना में राज्य सेवा के साथ कनिष्ठ विधि अधिकारियों के पदों को सम्मिलित करते हुए सेवा संवर्ग के 3 प्रतिशत पदों के निर्धारण बाबत परिषद द्वारा प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को ज्ञापन दिया हुआ है। उक्त संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विधि मंत्री महोदय को भी उक्त ज्ञापन दिय जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
9. वादकरण नीति के अनुरूप संयुक्त विधि परामर्शी के पदों के सृजन हेतु परिषद द्वारा प्रमुख शासन सचिव, विधि महोदय को पूर्व में ज्ञापन दिया हुआ है। उक्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री महोदय को भी दिये जाने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
10. विधि विभाग द्वारा विधि अधिकारियों की वर्ष 2022–23 की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के उपरान्त वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने बावत नियमों में संशोधन हेतु ज्ञापन देने को प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
11. कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने हेतु मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री महोदय को ज्ञापन देने का निर्णय कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
12. परिषद में सदस्यता संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु सदस्यता विवाद निवारण समिति का गठन किये जाने का निर्णय कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एक उपाध्यक्ष एवं चार सदस्यों की उक्त समिति का गठन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जावेगा।
13. विधि सेवा के किसी अधिकारी की परिषद सदस्यता हेतु रसीद काटते समय, यदि कोषाध्यक्ष/सह–कोषाध्यक्ष को, उसकी परिषद के प्रति सद्भावना पर संदेह है, तो रसीद काटने से पूर्व उनके द्वारा उक्त प्रकरण को सदस्यता विवाद निवारण समिति को भेजा जावेगा एवं उक्त संबंध में समिति के निर्णय अनुरूप कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

10.03.2022

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

10.03.2022

महासचिव